भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 12B/2016-17

1. धर्मेन्द्र महतो 2. शैलेन्द्र महतो 3. करम चन्द्र महतो **बनाम** वामदेव महतो

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
9.10.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, खरसावाँ के पत्रांक 04/अं. दिनांक 03.01.2017 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 12 B/2016–17 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता 1.धर्मेन्द्र महतो 2. शैलेन्द्र महतो 3. करम चन्द्र महतो तीनों के पिता–स्व0 झरी महतो, ग्राम–जोजोडीह, टोला–तुड़ियान थाना–खरसावाँ, जिला–सरायकेला–खरसावॉ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता वामदेव महतो, पिता–स्व0 शंकर महतो, ग्राम–जोजोडीह टोला–तुड़ियान, थाना–खरसावाँ, जिला–सरायकेला–खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
जोजोडीह	116	67	2734	0.03ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेताओं के पिता झरी महतो एवं अन्य के नाम से हाल सर्वे खतियान एवं पंजी–II में दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते हैं। आवेदकों के हिस्से में 3.04 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.03 ए0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 3.01 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना,जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.03 ए0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

9.10.17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।